# अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 09 / 2024
GCMS No. 2024/36

दायरा दिनांक 06.05.2024

**पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)**

**उनवान**

1. शिवचरण पुत्र कल्लू जाति किराड़ निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां(राज0)
2. बाबू पुत्र कल्लू जाति किराड़ निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां(राज0)
3. कन्हैया पुत्र कल्लू जाति किराड़ निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां(राज0)
4. रमेश पुत्र कल्लू जाति किराड़ निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां(राज0)
5. भरत पुत्र कल्लू जाति किराड़ निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां(राज0)
6. उम्मेद पुत्र कल्लू जाति किराड़ निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां(राज0)

**– अपीलाण्टगण**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला–बारां राजस्थान

**– रेस्पोडेण्ट**

**उपस्थित :–**

1. श्री हेमराज नामदेव – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक 28.08.2024

**अपील विरूद्ध आदेश फौती नामान्तकरण नम्बर 136 ग्राम खैराई, दिनांक 22.06.1989**

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.06.1989 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

तहसील शाहबाद पटवार हल्का गणेशपुरा के ग्राम खैराई के खाता संख्या 108 में आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 17.00 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नम्बर 170 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नम्बर 171 / 365 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 13.16 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 229 रकबा 0.10 बीघा व खसरा नम्बर 232 रकबा 1.12 बीघा किता 8 कुल रकबा 46.11 बीघा कृषि भूमि स्थित है।

उक्त आराजी में अपीलान्ट के पिता कल्लू पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी खैराई का हिस्सा 1/3 दर्ज रहा है, जिनकी मृत्यु के बाद दर्ज विरासत बाबत् प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का घरेलू नाम शिब्बू दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट क्रम 1 का रिकार्डेड नाम शिवचरण है।

इस प्रकार उक्त खाते में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम शिवचरण के स्थान पर शिब्बू दर्ज हो जाने से अपीलान्ट को भारी दिक्कत तथा परेशानी हो रही है। अपीलान्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी तथा अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित है, उक्त नाम की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार शाहबाद के समक्ष पेश किया तो उन्होंने उक्त नाम फोती नामान्तरकरण के जरिये दर्ज होने से दुरूस्ती से इन्कार कर दिया और अपीलान्ट को श्रीमान न्यायालय में अपील करने की हिदायत दी है।

दिनांक 02.05.2024 को तहसील कार्यालय शाहबाद में आकर किसान सम्मान निधी की राशि बाबत् पता किया तो कम्प्युटर आपरेटर द्वारा अपीलान्ट क्रम 1 का जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज होने से उक्त लाभ से वंचित कर दिये जाने पर अपीलान्ट को गलत नाम दर्ज होने का सर्व प्रथम ज्ञान



Scanned with OKEN Scanner

हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि उसी दिन हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण तथा जमाबन्दीयात की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 02.05.2024 को उक्त आराजियात की किसान सम्मान निधी की राशि लेने की जांच कराने पर कम्प्युटर आपरेटर द्वारा पता चला कि उक्त आराजियात जमाबन्दी के फोती नामान्तरकरण संख्या 136 में अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज हो गया है जो अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना दर्ज किया गया है। जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.05.2024 को किसान सम्मान निधी की राशि जांच कराने पर हुई है धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम शिब्बू गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का सही नाम शिवचरण है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम शिब्बू गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम शिवचरण है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज में अपीलान्ट का नाम शिवचरण दर्ज होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम खैराई का नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 22.06.1989 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल नामान्तरकरण संख्या 136 दिनांक 22.06.1989 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)



Scanned with OKEN Scanner